न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 92 / 2022

जीसीएमएस संख्या :– 2022 / 170

उनवान

1. हजारी पुत्र रूडा जाति मीणा, उम्र–वयस्क, निवासी ग्राम कलवानियों का बास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र रूडा

2 ग्यारसीलाल पुत्र रूडा

3. मक्खनलाल पुत्र रूडा

समस्त व्यस्क, जाति मीणा, निवासी ग्राम कलवानियो का बास, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

4. छोटी पुत्री रूडा पत्नी रामजीलाल, जाति मीणा, उम्र–व्यस्क, निवासी ग्राम पूतली, तह० कोटपूतली, जिल जयपुर, (राज०)

5. सरजु पुत्री रूडा पत्नी जगदीश जाति मीणा, उम्र–व्यस्क, निवासी गिरधारीपुरा, तह० साभर, जिला जयपुर (राज०)

6. प्रकाश पुत्र गोकूल चन्द

7. सीताराम पुत्र गोकूल चन्द

8. पतासी पुत्री गोकूल चन्द

9. सुमन पुत्री गोकूल चन्द

समस्त व्यस्क, जाति भीणा, निवासी ग्राम भालोजी तह० कोटपूतली, जिला जयपुर।

10. राजेन्द्र पुत्र चन्दाराम

11. रोहिताश पुत्र चन्दाराम

12. माली देवी पुत्री चन्दाराम

13. मंजू देवी पुत्री चन्दाराम

14. लाली देवी पुत्री चन्दा

15. कम्मो देवी पुत्री चन्दाराम

16. कान्ता पत्नी रमेश

17. मेघराज पुत्र रमेश

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

18. ब्रजराज पुत्र रमेश

19. आयुष पुत्र रमेश

प्रार्थी सं0–17 लगायत 19 नाबालिग जरिये माता कान्ता पुत्री रमेश समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम गिरधारीपुरा, तह0 सांभर, जिला जयपुर, राज0।

20. उपपंजीयक अमरसर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

अधिवक्ता उपस्थिति :– श्री दीपक शर्मा, वादी की ओर से

:– श्री मंगलचन्द यादव, प्रतिवादी की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 6/12/24

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0–1328 रकबा 0.44 है० वाकै ग्राम कलवानियों का बास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अमरसर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी हजारी का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–1 शंकर का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–2 ग्यारसीलाल का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–3 मक्खनलाल का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–4 छोटी देवी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–5 सरजू देवी का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–6 लगायत 9 की माता कौशल्या देवी का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–10 लगायत 19 की माता/दादी/सास मनभरी देवी का 1/9 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 5 की माता बिदामी देवी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–371 संलग्न वाद पत्र पेश है। यहकि खातेदार कौशल्या पुत्री रूडा का अर्सा 8 साल पहले तथा खातेदार मनभरी पुत्री रूडा का करीब 15 साल पहले देहान्त हो चुका है प्रतिवादी सं०–6 लगायत 9 कौशल्या देवी के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं0–10 लगायत 19 खातेदार मनभरी देवी के वारिसान है। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं0–6 लगायत 19 का हक निहित होने की वजह से व खातेदार होने से इन्हे उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है प्रतिवादी सं0–6 लगायत 9 को कौशल्या देवी के नाम दर्ज 1/9 हिस्से की भूमि का तथा प्रतिवादी सं0–10 लगायत 19 को मनभरी देवी के नाम दर्ज 1/9 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवारा कराया जाना न्याय संगत व आवश्यक है। यहकि जिमन नम्बर 1 वाद पत्र में दर्ज भूमि पर उक्त खातेदार काश्तकार राजस्व रिर्काड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त विवादित भूमि का खातेदारान के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादीण संख्या 1 लगायत 3 के मन में दुर्भावना आ गयी

सहायक कलक्टर
(जिला-जयपुर)

है और उन्होनें वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादी को उनके हिस्से के भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि वादी के कब्जे के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण सामग्री एकत्रित कर निर्माण करने को आमादा है वादी को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने को आमादा है। तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने को आमादा है। उक्त भूमि में पहले से ही तीन मकानात बने हुये है एक मकान वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग रूडा का बनाया हुआ है जो सामलाती है तथा दो मकान प्रतिवादी सं0–2 ग्यारसीलाल ने बना रखे है तथा अब एक नया मकान बनाने हेतु प्रतिवादी सं0–1 आमादा फिसाद हो रहा है तथा जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य चालु कर दिया है। यहकि अभी 2 दिन पूर्व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 3 अजनबी व्यक्तियो को लेकर वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की भूमि पर आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाऐं बेचान करने के उद्देश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख करने लगे तो वादी ने नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट व ऊपजाऊ भाग को बेचेगे इसलिए नाप जोख कर रहे है जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि अपनी भूमि का तकास्मा नहीं हुआ है एवं आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना तकास्मा करवाये बेचान हस्तानान्तरण करने तथा निर्माण करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है, जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा है कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाउ भू–भाग का बेचान दीगर लठैत व्यक्तियों को करेंगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे तथा निर्माण कार्य भी करके रहेगे तथा अबकी बार तुझे फसल काश्त नहीं करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकासमा करवाये विशिष्ट भू भाग बेचने पर आमादा है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये। यहकि वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती सम्पति मुतनाजा है, उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड पौधो पूला पानी, व सम्पति पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा माना जावेगा। लेकिन प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का बिना बंटवारा करवाये ही उसके उपजाउ विशिष्टि भू भाग को

सहायक कलक्टर

दीगर व्यक्तियो को बेचान कर तथा भूमि की किस्म सम्परिवर्तन करवाये बिना निमार्ण कार्य करवाने को आमादा है तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गये तो वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी व पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी। यहकि वाद पत्र के जिमन नम्बर 2, 3, 4, में वर्णित कारणो के कारण अब प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी पैदा करने लग गये है। इस कारण वादी व प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी में शामिल में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। इसलिए वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का कानूनी बंटवारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदारों के कब्जे काश्त के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्यायासंगत है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खसरा नं0–1328 रकबा 0.44 है० वाकै ग्राम कलवानियों का बास भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अमरसर, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान का वादी व तथा प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 19 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राज लगान अलग अलग निर्धारित किया जावे जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जावे एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1, में वर्णित हाल आराजी खसरा नं0–1328 रकबा 0.44 है० वाकै ग्राम कलवानियों का बास भूअभिलेखनिरिक्षक क्षेत्र अमरसर, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान के वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे वादी को शान्ति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे। व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। यहकि हर्जा खर्चा वाद वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे, अन्य सहायता बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण मुताबिक हो प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मंगल चन्द यादव उपस्थित आये। प्रकरण में दिनांक 9.10.23 को प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 21 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनांक 05.07.2024 को वकील प्रतिवादी द्वारा "पूर्व में जवाब दावा पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने उपरांत " जवाब दावा पेश नहीं करने पर वकील

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

प्रतिवादी का जवाब दावा का अवसर बंद किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को कुरेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/मू0अ0/2024/3801 दिनांक 05.08.2024 के द्वारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने हेतु वकील उभयपक्ष ने अवसर चाहा। न्यायहित में अवसर दिया गया। प्रकरण में दिनांक 09.10.2024 को वकील वादी स्वयं उपस्थित आये परन्तु वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं आये। वकील प्रतिवादी को आवाज लगाई गई, आवाज लगाने उपरांत भी वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहे, न्यायहित में अपना पक्ष व आपत्ति कुरेजात रिपोर्ट पेश करने हेतु वकील प्रतिवादी को अवसर दिया गया, वकील वादी ने मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में आमागी तारीख पेशी दिनांक 28.11.2024 को वकील वादी उपस्थित आये परन्तु वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं, आवाज लगाई गई, आवाज लगाने उपरांत भी वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से वकील प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली व कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। कुरेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नं0–1328 रकबा 0.44 है० वाकै ग्राम कलवानियों का बास भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र अमरसर, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर राज0 की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. हजारी पुत्र रूडा जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1328/1 रकबा 0.0550 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0550 है0 भूमि रहेगी।
2. ग्यारसीलाल, मक्खनलाल, शंकर पि0 रूडा, कौशल्या, छोटी, मनभरी, सरजू पुत्रियान् रूडा हि0 ब0 जाति मीणा सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1328/2 रकबा 0.3850 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3850 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

जाता है कि एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा डिवीजन में तरमीम करने के लिए ऑर्डर होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रों डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 6/12/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़)

सहायक कलेक्टर एवं [illegible]

शाहपुरा जिला जयपुर, ग्रामीण

#2022/170

न्यायालय–सहायक कलेक्टर–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

राजस्व वाद सं0–92/2022

हजारी पुत्र रूडा, जाति मीणा, उम्र–व्यस्क, निवासी ग्राम कलवानियों का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

–वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र रूडा
2. ग्यारसीलाल पुत्र रूडा
3. मक्खनलाल पुत्र रूडा

समस्त व्यस्क, जाति मीणा, निवासी ग्राम कलवानियो का बास, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

4. छोटी पुत्री रूडा पत्नी रामजीलाल, जाति मीणा, उम्र–व्यस्क, निवासी ग्राम पूतली, तह0 कोटपूतली, जिल जयपुर, (राज0)
5. सरजु पुत्री रूडा पत्नी जगदीश जाति मीणा, उम्र–व्यस्क, निवासी गिरधारीपुरा, तह0 सांभर, जिला जयपुर (राज0)
6. प्रकाश पुत्र गोकूल चन्द
7. सीताराम पुत्र गोकूल चन्द
8. पतासी पुत्री गोकूल चन्द
9. सुमन पुत्री गोकूल चन्द

समस्त व्यस्क, जाति भीणा, निवासी ग्राम भालोजी तह0 कोटपूतली, जिला जयपुर।

10. राजेन्द्र पुत्र चन्दाराम
11. रोहिताश पुत्र चन्दाराम
12. माली देवी पुत्री चन्दाराम
13. मंजू देवी पुत्री चन्दाराम
14. लाली देवी पुत्री चन्दा
15. कम्मो देवी पुत्री चन्दाराम
16. कान्ता पत्नी रमेश
17. मेघराज पुत्र रमेश
18. ब्रजराज पुत्र रमेश

अं.हि हजारी

19. आयुष पुत्र रमेश

प्रार्थी सं0–17 लगायत 19 नाबालिग जरिये माता कान्ता पुत्री रमेश

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम गिरधारीपुरा, तह0 सांभर, जिला जयपुर (राज0)

20. उपपंजीयक अमरसर तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, जिला जयपुर, (राज0)

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर, (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

श्रीमान् जी,

सेवामें वाद पत्र दो प्रतियो में निम्न प्रकार पेश है:–

1. यहकि हाल आराजी खसरा नं0–1328 रकबा 0.44 है0 वाकै ग्राम कलवानियों का बास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अमरसर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी में वादी हजारी का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–1 शंकर का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–2 ग्यारसीलाल का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–3 मक्खनलाल का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–4 छोटी देवी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं0–5 सरजू देवी का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–6 लगायत 9 की माता कौशल्या देवी का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–10 लगायत 19 की माता/दादी/सास मनभरी देवी का 1/9 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 5 की माता बिदामी देवी का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–371 संलग्न वाद पत्र पेश है।
2. यहकि खातेदार कौशल्या पुत्री रूडा का अर्सा 8 साल पहले तथा खातेदार मनभरी पुत्री रूडा का करीब 15 साल पहले देहान्त हो चुका है प्रतिवादी सं0–6 लगायत 9 कौशल्या देवी के वारिसान है तथा प्रतिवादी सं0–10 लगायत 19 खातेदार मनभरी देवी के वारिसान है। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं0–6 लगायत 19 का हक निहित होने की वजह से व खातेदार होने से इन्हे उक्त प्रकरण में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है प्रतिवादी सं0–6 लगायत 9 को कौशल्या देवी के नाम दर्ज 1/9 हिस्से की भूमि का तथा प्रतिवादी सं0–10 लगायत 19 को मनभरी देवी के नाम

हजारी

दर्ज 1/9 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर बंटवारा कराया जाना न्याय संगत व आवश्यक है।

3. यहकि जिमन नम्बर 1 वाद पत्र में दर्ज भूमि पर उक्त खातेदार काश्तकार राजस्व रिर्काड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त विवादित भूमि का खातेदारान के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है प्रतिवादीण संख्या 1 लगायत 3 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होनें वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादी को उनके हिस्से के भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करने व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि वादी के कब्जे के विंशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण सामग्री एकत्रित कर निर्माण करने को आमादा है वादी को उनके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने को आमादा है। तथा उक्त विवादित आराजी मुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने को आमादा है। उक्त भूमि में पहले से ही तीन मकानात बने हुये है एक मकान वादी व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग रूडा का बनाया हुआ है जो सामलाती है तथा दो मकान प्रतिवादी सं0–2 ग्यारसीलाल ने बना रखे है तथा अब एक नया मकान बनाने हेतु प्रतिवादी सं0–1 आमादा फिसाद हो रहा है तथा जबरन ताकत के बल पर उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य चालु कर दिया है।

4. यहकि अभी 2 दिन पूर्व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 3 अजनबी व्यक्तियो को लेकर वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजी मुतनाजा की भूमि पर आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाऐं बेचान करने के उद्देश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख करने लगे तो वादी ने नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट व ऊपजाऊ भाग को बेचेगे इसलिए नाप जोख कर रहे है जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को मना किया कि अपनी भूमि का तकास्मा नहीं हुआ है, एवं आपको किसी भी विशिष्ट भू भाग को बिना तकास्मा करवाये बेचान हस्तानान्तरण करने तथा निर्माण करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा है कि हम तो बिना तकासमा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भूभाग का बेचान दीगर लठैत व्यक्तियो को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल

अ॰ नि॰
हजारी

पर बेदखल कर देगे तथा निर्माण कार्य भी करके रहेगे तथा अबकी बार तुझे फसल काश्त नहीं करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकासमा करवाये विशिष्ट भू भाग बेचने पर आमादा है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादी के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करवाये।

5. यहकि वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती सम्पति मुतनाजा है, उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड पौधो पूला पानी, व सम्पति पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा माना जावेगा। लेकिन प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि का बिना बंटवारा करवाये ही उसके उपजाउ विशिष्टि भू भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर तथा भूमि की किस्म सम्परिवर्तन करवाये बिना निमार्ण कार्य करवाने को आमादा है तथा वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गये तो वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी व पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी।

6. यहकि वाद पत्र के जिमन नम्बर 2, 3, 4, में वर्णित कारणो के कारण अब प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी पैदा करने लग गये है। इस कारण वादी व प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजी में शामिल में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। इसलिए वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का कानूनी बंटवारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार खातदारो के कब्जे काश्त के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारित किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

7. यहकि बिनाय दावा बरूए जिमन नम्बर 1 लगायत 5 उक्त विवादित भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने से व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखअन्दाजी पैदा करने से उक्त भूमि के विशिष्ट व उपजाउ भू भाग का दीगर

अंगूठा हजारी

व्यक्तियो को बेचान कर निर्माण कार्य करवाने को आमादा होने से पैदा होकर अन्दर मियाद पेश है।

8. यहकि प्रतिवादी संख्या 21 राजस्थान सरकार भूमिधारी है उक्त मुकदमा बंटवारे का होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के नाते जरिये तहसीलदार शाहपुरा पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
9. यहकि प्रतिवादी संख्या–20 उपपंजीयक है जहाँ उक्त भूमि के हस्तानान्तरण सम्बन्धित दस्तावेज पंजीयन होते है इसलिए प्रतिवादी संख्या–20 को उक्त विवादित भूमि के हस्तानान्तरण सम्बन्धित दस्तावेजात पंजीयन नहीं करने हेतु पाबन्द कराने के लिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
10. यहकि प्रतिवादीगण संख्या–20 व 21 लोक सेवक व राज्य सरकार पक्षकार मुकदमा है, कानूनन राज्य सरकार व लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पहले दों माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। किन्तु प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का नोटिस देने की अवधि के मध्य प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का रहन बय स्थानान्तरण कर देने व विशिष्ट भू भाग का कब्जा अन्य को हस्तान्तरण कर देने का पूरा पूरा अन्देशा है तथा वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देने का भी पूरा पूरा अन्देशा है इसलिए अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नोटिस दिये जाने से छूट प्राप्त कर ली गयी है।
11. यहकि वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णित कोर्ट फीस पर नियामानुसार पेश है।
12. यहकि उक्त विवादित भूमि व पक्षकारो का निवास स्थान व कार्यालय न्यायालय श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त वाद पत्र सुनने व फैसल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
13. यहकि वादी/प्रार्थी है कि :–

(क) यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि हाल आराजी खसरा नं0–1328 रकबा 0.44 है0 वाकै ग्राम कलवानियों का बास भूअभिलेखनिरिक्षक क्षेत्र अमरसर, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान का वादी व तथा प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 19 के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के मुताबिक कानूनी बंटवारा करवाया

हजारी